न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2022(रे.वि.) (GCMS 2022/28)	16.03.2022	05.03.2024

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थी

बनाम

वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक, अडानी गैस लिमिटेड, उदयपुर
II nd KKG house Opp. Transport Nagar Balicha Udaipur

अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर द्वारा पत्रांक/न्याय/2022/370 दिनांक 11.03.2022 से पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि चित्तौड़गढ़–उदयपुर राजमार्ग पर इन दिनों अडानी ग्रुप की तरफ से एक साईड में सीएनजी गैस पाईप लाईन बिछाने का कार्य चल रहा है साथ ही उक्त सडक पर डामरीकरण का कार्य भी प्रगति पर है परन्तु संबंधित ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मानकों का नियमानुसार पालन नहीं किय जा रहा है। एक तरफा यातायात करने के लिये जो अवरोध लगाये गये है वह भी सही तरीके से नहीं लगे होकर भ्रमित करने वाले है। इस कारण से आये दिन दुर्घटनाऐ होती रहती है तथा आमजन में भी रोष व्याप्त है एवं ज्ञापन प्राप्त हुये है। उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर से प्राप्त पत्र के आधार पर विपक्षी के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत कार्यवाही के प्रारम्भिक स्थिति में पर्याप्त आधार होने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को दण्ड प्रक्रिया की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया।

इस पर दिनांक 12.04.2022 को अप्रार्थी की और से अधिकृत प्रतिनिधि हाजिर आये एवं जवाब हेतु अवसर चाहा हो दिया गया। दिनांक 26.04.2022 को अप्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अपने जवाब नोटिस में अप्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.03.2022 को दिन के 04 बजे ग्राम कांकरवा की राजस्व सीमा पारी रेल्वे फाटक के पास चित्तौड़गढ़–उदयपुर राजमार्ग पर एक डीजल टैंकर नंबर **RJ 27 GC 3455** व अल्टो कार नंबर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

RJ 14 CB 0609 की आमने सामने टक्कर हो गई थी जो हमारे द्वारा लगाये गये बेरी गेड एवं डाईवर्जन से करीब 2 किमी. से अधिक दूरी पर दुर्घटना घटित हुई। उक्त दुर्घटना से अप्रार्थी अडाणी टोटल गैस लिमिटेड का कोई सम्बन्ध नहीं है। नोटिस **133 CRPC** अपने आप में निरस्त योग्य है। टैंकर के ड्राईवर ने टैंकर को सही दिशा में नहीं चलाकर उक्त दुर्घटना को अन्जाम दिया है अगर सही दिशा में ड्राईव करता तो उक्त दूर्घटना घटित नहीं होती। टैंकर ड्राईवर की लापरवाही से उक्त दुर्घटना होने से ड्राईवर टैंकर छोड़कर भाग गया था। टैंकर ड्राईवर के लिये सही दिशा में चलने के लिए तीन डाइवर्जन थे, जो पहला 800 मीटर पर था। दूसरा 1200 मीटर पर तथा तीसरा 1300 मीटर पर था, किन्तु टैंकर ड्राईवर ने टैंकर को सही दिशा में नहीं मोड़कर उक्त दुर्घटना घटित की है। पहला डाईवजन जो 700 मीटर पर था। उसी अनुरूप टैंकर ड्राईवर को ड्राईव करना चाहिये था और टैंकर ड्राईवर से ये उम्मीद की जानी थी कि वो सही दिशा में मोड़कर टैंकर को ले जाता। दिनांक 09.03.2022 को अडानी ग्रुप ने 1 बजे ही कार्य बन्द कर दिया था। क्योंकि बहुत अधिक बारिस हो रही थी तथा ओलावृष्टी हो रही थी। मौसम काफी खराब होने से काम 1 बजे दिन में बन्द कर दिया गया था। टैंकर और अल्टो कार की आमने सामने की भिड़ंत हुई है जो स्थान 2 किमी. की दूरी से ज्यादा दूरी पर जहां साईट बन्द कर दी गई थी। दुर्घटना टैंकर के सही दिशा में नहीं चलाने से घटित हुई है। अगर टैंकर सही लेन यानि अपनी राईट साईड में चलता तो उक्त दुर्घटना घटित नहीं होती है। अल्टो कार में 7 सवारी बैठी हुई थी यानि ओवर लोड थी सभी का अडानी ग्रुप द्वारा सभी को हॉस्पीटल पहुंचाया गया। जहां तक अडानी ग्रुप का प्रश्न है अडानी ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा जगह–जगह संकेतक सूचना पट्ट आज भी लगे हुए है और दुर्घटना पूर्व भी लगे हुए थे जहां तक एक तरफा यातायात करने की लिये जो अवरोधक लगाये गये है वो सही तरीके से लगाये गये है। किसी प्रकार से भ्रमित करने वाले नहीं है। जो मौके की स्थिति से स्पष्ट है। अडानी ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा कार्य चालू करने से पूर्व रूट सर्वे किया जाता है उसके बाद ही साईट पर कोई कार्य शुरू किया जाता है। उक्त दुर्घटना के दिन भी कर्मचारियों ने रूट सर्वे किया था। उसके बाद खराब मौसम व ओलावृष्टी के कारण 1 बजे दिन में ही कार्य बन्द कर दिया था। हमेशा कार्य चालू करने से पूर्व सभी मजदूरों को सावधानी बरतने के लिये आगाह किया जाता है। उस दिन भी सभी को आगाह किया था। यातायात को सुचारू रूप से अन्जाम देने के लिये बेरीकेड व रिफ्लेक्टर दुर्घटना से पूर्व भी लगे हुए थे छाया प्रतियां जो पेश की जा रही है उनसे स्पष्ट होता है। साईट के फोटो ग्राफ्स उक्त जवाब के साथ संलग्न किये जा रहे है। न्यायालय के अवलोकनार्थ पेश है साथ ही नजरी नक्शे की छाया प्रति भी संलग्न की जा रही है जिससे स्पष्ट होता है कि कितने डाइवर्जन दिये गये है अगर टैंकर ड्राईवर उनको काम में लेता जो सही दिशा की ओर ले जा रहे है। सही दिशा में नहीं ले जाकर उक्त दुर्घटना टैंकर ड्राईवर की लापरवाही से घटित हुई है। अडानी ग्रुप द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गयी है। उपखण्ड अधिकारी भूपाल सागर ने मात्र रिपोर्ट व ज्ञापन को आधार मानकर अडानी ग्रुप को **133 CRPC** का नोटिस बिना किसी जाँच

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के देने की भारी भूल की है। अंत में प्रार्थना की गई कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त फरमाने का कष्ट करावें।

दिनांक 27.02.2024 को उभयपक्ष हाजिर आये एवं बहस पत्रावली को सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी बहस में नोटिस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं विपक्षी के विरूद्ध धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कठोर कार्यवाही की जाकर मौके से विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेन्स को हटाये जाने का आदेश पारित किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि दिनांक 09.03.2022 को दिन के 04 बजे ग्राम कांकरवा की राजस्व सीमा पारी रेल्वे फाटक के पास चित्तौड़गढ़–उदयपुर राजमार्ग पर एक डीजल टैंकर नंबर **RJ 27 GC 3455** व अल्टो कार नंबर **RJ 14 CB 0609** की आमने सामने टक्कर हो गई थी जो हमारे द्वारा लगाये गये बेरी गेड एवं डाईवर्जन से करीब 2 किमी. से अधिक दूरी पर दुर्घटना घटित हुई। उक्त दुर्घटना से अप्रार्थी अडाणी टोटल गैस लिमिटेड का कोई सम्बन्ध नहीं है। टैंकर के ड्राईवर ने टैंकर को सही दिशा में नहीं चलाकर उक्त दुर्घटना को अन्जाम दिया है अगर सही दिशा में ड्राईव करता तो उक्त दूर्घटना घटित नहीं होती। टैंकर ड्राईवर की लापरवाही से उक्त दुर्घटना होने से ड्राईवर टैंकर छोड़कर भाग गया था। टैंकर ड्राईवर के लिये सही दिशा में चलने के लिए तीन डाइवर्जन थे। दिनांक 09.03.2022 को अडानी ग्रुप ने 1 बजे ही कार्य बन्द कर दिया था। मौसम काफी खराब होने से काम 1 बजे दिन में बन्द कर दिया गया था। टैंकर और अल्टो कार की आमने सामने की भिड़ंत हुई है जो स्थान 2 किमी. की दूरी से ज्यादा दूरी पर जहां साईट बन्द कर दी गई थी। अल्टो कार ओवर लोड थी। जहां तक एक तरफा यातायात करने की लिये जो अवरोधक लगाये गये है वो सही तरीके से लगाये गये है। किसी प्रकार से भ्रमित करने वाले नहीं है। अडानी ग्रुप के कर्मचारियों द्वारा कार्य चालू करने से पूर्व रूट सर्वे किया जाता है उसके बाद ही साईट पर कोई कार्य शुरू किया जाता है। यातायात को सुचारू रूप से अन्जाम देने के लिये बेरीकेड व रिफ्लेक्टर दुर्घटना से पूर्व भी लगे हुए थे छाया प्रतियां जो पेश है उनसे स्पष्ट होता है। अगर टैंकर ड्राईवर उनको काम में लेता जो सही दिशा की ओर ले जा रहे है। सही दिशा में नहीं ले जाकर उक्त दुर्घटना टैंकर ड्राईवर की लापरवाही से घटित हुई है। अडानी ग्रुप द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गयी है। उपखण्ड अधिकारी भूपाल सागर ने मात्र रिपोर्ट व ज्ञापन को आधार मानकर अडानी ग्रुप को **133 CRPC** का नोटिस बिना किसी जाँच के देने की भारी भूल की है। **इसके साथ ही वर्तमान में समय मौके पर किसी भी प्रकार से कोई कार्य जारी नहीं है। कंपनी का कार्य समाप्त हो चुका है। जिससे वर्तमान में किसी भी प्रकार से अप्रार्थी कंपनी द्वारा उक्त मार्ग पर किसी प्रकार कोई लोक न्यूसेंस नहीं है।** अतः प्रार्थना है कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त फरमाने का आदेश दिलवाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समाप्त की। हमने पत्रावली का अद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का अद्यौपांत अवलोकन किया। हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। दण्ड प्रक्रिया सांहिता की धारा 133 में प्रावधित किया गया है :–

133. Conditional order for removal of nuisance.—

(1) Whenever a District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate specially empowered in this behalf by the State Government, on receiving the report of a police officer or other information and on taking such evidence (if any) as he thinks fit, considers—

(a) that any unlawful obstruction or nuisance should be removed from any public place or from any way, river or channel which is or may be lawfully used by the public; or

(b) that the conduct of any trade or occupation, or the keeping of any goods or merchandise, is injurious to the health or physical comfort of the community, and that in consequence such trade or occupation should be prohibited or regulated or such goods or merchandise should be removed or the keeping thereof regulated; or

(c) that the construction of any building, or, the disposal of any substance, as is likely to occasion configuration or explosion, should be prevented or stopped; or

(d) that any building, tent or structure, or any tree is in such a condition that it is likely to fall and thereby cause injury to persons living or carrying on business in the neighbourhood or passing by, and that in consequence the removal, repair or support of such building, tent or structure, or the removal or support of such tree, is necessary; or

(e) that any tank, well or excavation adjacent to any such way or public place should be fenced in such manner as to prevent danger arising to the public; or

(f) that any dangerous animal should be destroyed, confined or otherwise disposed of, such Magistrate may make a conditional order requiring the person causing such obstruction or nuisance, or carrying on such trade or occupation, or keeping any such goods or merchandise, or owning, possessing or controlling such building, tent, structure, substance, tank, well or excavation, or owning or possessing such animal or tree, within a time to be fixed in the order—

(i) to remove such obstruction or nuisance; or

(ii) to desist from carrying on, or to remove or regulate in such manner as may be directed, such trade or occupation, or to remove such goods or merchandise, or to regulate the keeping thereof in such manner as may be directed; or

(iii) to prevent or stop the construction of such building, or to alter the disposal of such substance; or

(iv) to remove, repair or support such building, tent or structure, or to remove or support such trees; or

(v) to fence such tank, well or excavation; or

(vi) to destroy, confine or dispose of such dangerous animal in the manner provided in the said order, or, if he objects so to do, to appear before himself or some other Executive Magistrate subordinate to him at a time and place to be fixed by the order, and show cause, in the manner hereinafter provided, why the order should not be made absolute.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में प्रावधित किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट को इत्तिला प्राप्त होने पर किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक स्थान या किसी मार्ग जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है को विधि विरूद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए या किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध या विनियमित की जानी चाहिए तब ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार करने वाले से अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर ऐसी बाधा या न्यूसेंस हटा दे। हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा ज्ञापन के माध्यम से न्यायालय के संज्ञान में इस तथ्य लाया गया है कि दिनांक 09.03.2022 को चित्तौड़गढ़–उदयपुर राजमार्ग पर ग्राम कांकरवा की राजस्व सीमा में पारी रेल्वे फाटक के पास वाहन दुर्घटना हुई है जिसमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई है एवं इस संबंध में पाईप लाईन निर्माण के ठेकेदार द्वारा बरती जी रही अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुये है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध **133 CrPC** के तहत नोटिस जारी किये जाने के पर्याप्त आधार पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब नोटिस में इस तथ्य को उठाया गया है कि अप्रार्थी कंपनी द्वारा सुरक्षा मानकों का नियमानुसार पालन करते हुऐ साईट पर कार्य किया जा रहा था, एवं इस संबंध में अप्रार्थी कपंनी द्वारा सुरक्षा मानको के आधार ही दिशा सूचक/डायवर्जन बोर्ड लगाये गये। दिनांक 09.03.2022 को घटित दुर्घटना कार्य स्थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर घटित हुई है तथा दुर्घटना के संबंध में मुख्य टैंकर के वाहन चालक द्वारा कारित की गई है, इसका अप्रार्थी कंपनी से किसी भी प्रकार कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही अप्रार्थी कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्किंग साईट पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में किसी भी प्रकार से कोई कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर द्वारा प्रेषित ज्ञापन जिसके आधार पर अप्रार्थी कंपनी पर लोक न्यूसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया गया है निष्प्रभावी हो चुका है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्ध जारी **133 CrPC** के नोटिस में अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है एवं अप्रार्थी को **133 CrPC** के चार्ज से डिस्चार्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण को आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध जारी **133 CrPC** के नोटिस में अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाकर अप्रार्थी को **133 CrPC** के चार्ज से डिस्चार्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर को भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.03.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official